सत्यमेव जयते

केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित – भेड़, बकरी एवं खरगोशों की समन्वित विकास योजना

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

उत्तराखण्ड क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून

113/2, राजपुर रोड, होटल सनराइज, देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)

केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित - भेड़, बकरी एवं खरगोशों के समन्वित विकास की योजना -

भेड़, बकरियों तथा खरगोशों का पालन अत्यधिक गरीब ग्रामीणों द्वारा किया जाता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का अंशदान रू0 2400 करोड़ है। तथापि अत्यंत निर्धन लोगों को इस क्षेत्र की कम जानकारी तथा योजनाकारों/ वित्तीय एजेंसियों द्वारा इस दिशा में कम ध्यान दिया जाता है। इस पृष्ठभूमि में भारत सरकार द्वारा 24 राज्यों के 114 जिलों में छोटे रोमन्थकों हेतु तथा 12 जिलों में खरगोशों हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए उपरोक्त योजना शुरू की गई है।

उत्तराखण्ड में योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र**-

क) भेड़ व बकरी हेतु - टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली एवं पिथौरागढ़ जिले तथा बकरी हेतु ऊधमसिंह नगर जिला।

ख) खरगोश हेतु - पिथौरागढ़ जिला

**जरूरत एवं संभाव्यता के आधार पर अन्य जिलों को भी शामिल किए जाने का प्रावधान है।

योजना का उद्देश्य -

क) भेड़/बकरी/खरगोश पालने वाले किसानों को निर्वाह उत्पादन के स्थान पर व्यवसायिक पालन हेतु प्रोत्साहित करना।

ख) देशी नस्लों के उत्पादन को सुधारना

ग) विपणन को सुगम बनाना व उत्पादक का उनके पशुओं से बेहतर आय प्राप्त हो सके

लाभार्थी-

क) पालन इकाइयों के गठन हेतु - भूमिहीन श्रमिक, किसान और स्वयं सहायता समूह, वरीयता - पारम्परिक भेड़पालकों, महिलाओं, अ.जा. तथा अ.ज.जा. को वरियता

ख) प्रजनन फार्म हेतु - किसान, गैर सरकारी संगठन, कंपनियां

वरीयता - जिन्होंने छोटे जुगाली करने वाले पशु और खरगोशों के पालन हुेत किसानों को समूह में संगठित किया हो।

परियोजना लागत तथा पूंजीगत अनुदान की उच्चतम सीमा

घटक	यूनिट	पूंजी अनुदान	पूंजी अनुदान की
भेड़ और बकरी पालन	40 +2 (न्यूनतम 10 +1 तक मान्य)	रू0 25000/- की अधिकतम सीमा के आधीन 25%	रू. 33000/- अधिकतम सीमा के आधीन परिव्यय का 33.33%
भेड़ और बकरी प्रजनन इकाइयां	500+25 (न्यूनतम 100+5 तक मान्य)	रू0 6.25 लाख अधिकतम सीम के आधीन परिव्यय का 25%	रू. 8.33 लाख अधिकतम सीमा के आधीन परिव्यय का 33.33%
खरगोश पालन इकाइयां		रू0 0,56 लाख की अधिकतम सीमा के आधीन 25%	रू. 0.75 लाख की अधिकतम सीम के आधीन परिव्यय का 33.33%

परिव्यय के घटक -

क) **उद्यमी का अंशदान** - पालन यूनिटों के मामले में न्यूनतम 10% तथा ब्रीडिंग यूनिटों के मामले में कुल परिव्यय का न्यूनतम 25%

ख) **बैंक ऋण** - अनुदान सहित बैंक ऋण कुल वित्तीय परिव्यय के 50% से कम नहीं होगा। अ.जा./अ.ज.जा. और पर्वतीय क्षेत्र के लिए अनुदान सहित बैंक ऋण मंजूरी के समय कुल वित्तीय परिव्यय के 58.33% से कम नहीं होना चाहिए।

ऋण के साथ सहबद्धता - योजना के अंतर्गत सहायता पात्र वित्तीय संस्थाओं द्वारा परियोजना की मंजूरी के आधिन तथा ऋण से सहबद्ध होगी। पात्र वित्तीय संस्थाएं - वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक तथा अन्य संस्थाएँ जो नाबार्ड से पुनर्वित्त, सहवित्त् प्राप्त करने के पात्र हैं।

प्रोत्साहक (फैसिलिटेटर) के रूप में काम करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों का चयन - राज्य स्तर पर एक मंजूरी और अनुप्रवर्तन समिति का गठन किया गया है, जो इस क्षेत्र में कार्यरत अथवा कार्य करने के इच्छुक गैर-सरकारी संगठनों का फैसिलिटेटर के रूप में चयन करेगी जो निम्न कार्य करेंगे जिसके लिए उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी।

क) इच्छुक लाभार्थियों को समूह में संगठित व संपोषित करना

ख) स्थानीय पशुपालन विभाग के साथ समन्वय से उन्हें प्रशिक्षण दिलवाना

ग) समूहों/समूहों के सदस्यों को स्थानीय बैंको से ऋण मंजूर कराने में सहयोग देना व पशुओं की बिक्री की व्यवस्था करवाना

पूंजीगत अनुदान की मंजूरी तथा उसका जारीकरण -

क) लाभार्थी द्वारा परियोजना रिपोर्ट तैयार करवाकर वित्त पोषक बैंक को भेजना।

ख) परियोजना का आकलन तथा ऋण की मंजूरी के बाद बैंक द्वारा उनके नियंत्रक कार्यालय के माध्यम से प्रस्ताव नाबार्ड को भेजना।

ग) नाबार्ड द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक में प्रस्तावों का स्वीकृत होना।

घ) प्रधान कार्यालय से पुष्टि मिलने पर बैंको को अनुदान जारी किया जाना।

ड.) अनुदान को सब्सीडी रिजर्व फंड खातों में अलग से रखा जाएगा जिसका समायोजन बैंक एन्डेड होगा तथा इस अंश पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।

चुकौती अवधि - नकदी प्रवाह पर निर्भर, 02 वर्ष की छूट अवधि सहित अधिकतम 9 वर्ष

अन्य शर्तें -

क) परियोजना के अंतर्गत निर्मित अस्तियों का बीमा।

ख) नाबार्ड के माध्यम से पशुपालन, डेरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से सहायता प्राप्ति के साइन बोर्ड का यूनिट पर प्रदर्शन।

सहायता एवं सम्पर्क सूत्र-

जिला विकास प्रबंधक, नाबार्ड

1. **अल्मोडा व बागेश्वर,** श्री बहादुर सिंह बिष्ट
   फोन: 05962-233123, मो0: 9412093444
2. **हरिद्वार,** श्री हेमन्त कुमार तिवारी
   फोन: 01334-220330, मो0: 9412073002
3. **टिहरी गढ़वाल,** श्री ओ.पी. ढौन्डियाल
   फोन: 01376-232190, मो0: 9412076390
4. **पौडी गढ़वाल,** श्री एस. दास गुप्ता
   फोन: 01368-221970, मो0: 9411109889
5. **पिथौरागढ़,** श्री विकास भट्ट
   फोन: 05964-227660, मो0: 9412095933
6. **उत्तरकाशी,** श्री एस.सी. गर्ग
   फोन: 01374-224757, मो0: 9411103513
7. **ऊधम सिंह नगर,** श्री पुष्पहास पाण्डेय
   फोन: 05944-242620, मो0: 9412089620
8. **नैनीताल,** श्री जी. एस. चौधरी
   फोन: 05942-237257, मो0: 9412084752

नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून

फोन: 0135-6601085 / 6601070 ईमेल: dehradun@nabard.org